

# भारत में महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम

**डॉ. धनंजय शर्मा**

सहायक प्रध्यापक (समाजशास्त्र)

रानी धर्म कुंवर राजकीय महाविद्यालय, दल्लावाला-खानपुर  
हरिद्वार, (उत्तराखण्ड) मो0न0-9451301712, Mail ID -dsbhu2008@gmail.com

**शोध सार:-** विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण से अधिक प्रभावी तरीका कुछ नहीं है.....इस बयान से अधिक सटीक तरीके से महिलाओं की क्षमता का परिचय और कोई नहीं हो सकता। भूमिका चाहे पारंपरिक हो या आधुनिक, बहुत कुछ नहीं है, जो महिलाएं हासिल नहीं कर सकी हैं। माँ के रूप में वे अनंत काल से ही दुनिया के भावी नागरिकों को जन्म देने और पालने-पोसने का काम खूबसूरती के साथ करती आई हैं। बहनो, बेटियों और पत्नियों के रूप में उन्होंने कई तरह से पुरुषों का साथ दिया है। अधिक आधुनिक भूमिकाओं में वे शिक्षक, प्रबंधक, राजनेता आदि रही हैं, पिछले कुछ समय में तो उन्होंने लैंगिक बाधाएँ भी लौंघी हैं और पर्वतारोही, पायलट बनने के साथ सशक्त सेनाओं में लड़ती हुई भी नजर आई हैं।

भारत में महिलाओं को सम्पत्ति का अधिकार, मताधिकार और विवाह तथा रोजगार के मामले में समान नागरिक अधिकार के लिए शताब्दी तक संघर्ष करने के बाद ही प्राप्त हुआ है। भारत की आजादी के बाद संविधान निर्माताओं और राष्ट्रीय नेताओं ने महिलाओं को पुरुषों के समान स्थान दे दिया। एक के बाद एक सरकारों ने महिलाओं को आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में समान दर्जा देने के लिए कई उपाय किये गये। स्वामी विवेकानंद- “जब तक महिलाओं की स्थिति नहीं सुधरती तब तक विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं पक्षी के लिए एक ही पंख से उड़ना संभव नहीं है। परिवार ही नहीं बल्कि राष्ट्र और विश्व को भी नेतृत्व प्रदान करने की महिलाओं की क्षमता कि सुन्दरता से व्याख्या करती है।

**मुख्य शब्द:-** सशक्तिकरण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विधिक, महिला, सांस्कृतिक, शैक्षिक

**प्रस्तावना:-** भारत के इतिहास में प्राचीन काल से आधुनिक युग तक नजर डाले तो भारतीय समाज में स्त्रियों का योगदान पुरुषों के मुकाबला कम नहीं है, बदलते समय के साथ-साथ स्त्रियों ने भी पुरुषों के समान ही हर क्षेत्र में तरक्की की है, जिस पर कभी पुरुषों का वर्चस्व हुआ करता था, जैसे राजनीति सामाजिक एवं आर्थिक इत्यादि सभी क्षेत्रों में स्त्रियों के अच्छी कार्य क्षमता एवं बुद्धिमत्ता के प्रदर्शन को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आज भी हमारे समाज में स्त्रियाँ असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें अत्याचार एवं शोषण का शिकार होना पड़ता है, वैसे तो सरकार ने महिला योग जैसे संस्थानों का निर्माण कर रखा है, पर सभी के

लिए उसका लाभ उठा पाना संभव नहीं हो पाता। भारतीय समाज में पुरुष महिलाओं के प्रति अपनी सोच में बदलाव लायें ताकि किसी भी महिला को पुरुष प्रधान समाज एवं संस्थान में कार्य करने में असुविधा महसूस न हो। भारत में वैदिक काल से ही स्त्रियों को पुरुषों से श्रेष्ठ माना गया है। स्त्री पालन करने वाली है, पालने योग्य है। उसके बिना खुशहाल जीवन और सृष्टि की रचना पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। रानी कर्मावती, अहिल्याबाई, गार्गी, मैत्रेयी, लक्ष्मीबाई, इंदिरा गाँधी जैसे कर्मठ, साहसी व विदुषी महिलाओं का वजूद किससे छिपा है। मीरा बाई का प्रेम व समर्पण, तत्कालीन सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ने का साहस, किरण बेदी का साहस व शौर्य और कल्पना चावला की वैज्ञानिकता और अंतरिक्ष की सीमा भेदने की क्षमता का गुणगान करते हुए, यह समाज थकता नहीं है।

**महिला सशक्तिकरण:-**

सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखे तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण की मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण व समरसता पूर्ण विकास तभी संभव है, जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए। उन्हें पुरुषों के साथ-साथ विकास की सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने अधिक स्वालम्बन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं, अपनी शक्तियों व सम्भावनाओं, क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूकता होती है।

‘सशक्तिकरण’ शब्द का विच्छेद है। स-शक्ति-करण जिसमें ‘स’ उपसर्ग है। शक्ति संज्ञा है, विशेषण तथा करण प्रत्यय से मिलकर शब्द बना है- सशक्तिकरण। इसका ध्वनि अर्थ है- शक्ति सहित गत्यात्मकता (गति)। सशक्तिकरण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, निरन्तर चलने वाली, निर्बल के सबल बनने की प्रक्रिया एक पूर्ण सशक्त व्यक्ति वह है जो अपने जीवन

से संबंधित विषयों पर घरेलू अथवा सामाजिक स्तर पर किसी प्रकार का दबाव न हो, इस प्रकार स्त्रियों के संदर्भ में सशक्तिकरण की अवधारणा अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

**डॉ. दिग्विजय सिंह** के अनुसार, “महिला सशक्तिकरण का अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों में स्त्रियों की साझेदारी से है, निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का अर्थ है।


उनके द्वारा समाज की वर्तमान व्यवस्था और तौर-तरीकों को चुनौती में समान अवसर, राजनैतिक व आर्थिक नीति निर्धारण में भागीदारी, समान कार्य के लिए समान वेतन कानून के तहत सुरक्षा, प्रजनन का अधिकार आदि।”

**डॉ० अरूण कुमार सिंह** के अनुसार, “महिला सशक्तिकरण का अर्थ है, महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना ताकि वह सहजता से अपने जीवन-यापन की व्यवस्था कर सकें।”

**महात्मा गाँधी** के अनुसार, “हमारा पहला प्रयास अधिक से अधिक महिलाओं को उनके वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक करना होना चाहिए।”

सशक्तिकरण से अभिप्राय आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक शक्ति को व्यक्ति और समुदाय में बढ़ाने से है। इसके फलस्वरूप क्षमतावान, सशक्त, विकासशील और आत्म विश्वास से युक्त महिला समूह निर्मित हो सकता है। महिलाओं और लड़कियों के लिए वैश्विक अभियान, संयुक्त राष्ट्र महिला शाखा (UNIFEM) को दुनिया भर में स्त्रियों की जरूरतों को पूरा करने में तेजी लाने के लिए स्थापित किया गया।

महिला सशक्तिकरण की पहल सर्वप्रथम नैरोबी में सन 1985 में आरम्भ हुई। इसके बाद विश्व के अनेक भागों में इस पहल ने एक आन्दोलन का रूप ले लिया। वस्तुतः महिला सशक्तिकरण का सामान्य अर्थ है- महिला को शक्ति सम्पन्न बनाना, परन्तु पूर्ण रूप से इसका अभिप्राय सत्ता प्रतिष्ठानों एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की सुनिश्चित समान भागीदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तिकरण का एक बड़ा मानक कहा जा सकता है।



इसके फलस्वरूप महिलाओं को वैधानिक, राजनैतिक, शारीरिक मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर निर्णय लेने की स्वतंत्रता से है।

**महिला सशक्तिकरण के आयाम:-** महिला सशक्तिकरण को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसके विभिन्न आयामों को समझना आवश्यक है। इस धारण के मूल में स्त्री-पुरुष को एक दूसरे के पूरक समझते हुए, समतामूलक व्यवस्था विकसित करने की भावना निहित है। इस प्रक्रिया के विभिन्न आयाम हैं जैसे-

**सामाजिक सशक्तिकरण:-** सामाजिक सशक्तिकरण के अन्तर्गत उत्पीड़ित महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक पुनर्वास करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जिला स्तर पर अल्पावास गृह की स्थापना की जा रही है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, 1896 तथा हिंसा संरक्षण अधिनियम, 2005 के अनुसार महिलाओं एवं किशोरियों की खरीद-फरोख्त से बचाने तथा घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को संरक्षण एवं सुरक्षा देना अल्पावास गृह का मुख्य उद्देश्य है। इसके अंतर्गत अभी हाल ही में बिहार सरकार ने विशेष रूप से कामकाजी महिलाएं जिन्हें अपने कार्य के दौरान 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों को कार्य स्थल पर रखने में सुविधा होती है। जिनके परिवार में बच्चों की देख-रेख करने वाला उनके सिवाय कोई नहीं है, राज्य सरकार ने जैसे बच्चों के लिए राज्य में 100 पालनघर खोलने है। जिसमें स्वादिष्ट एवं पौष्टिक अल्पाहार, अन्य उपकरणों की व्यवस्था तथा खिलौने एवं खेलने के अन्य साधनों के साथ-साथ मनोरंजन का भी प्रावधान किया गया है।

यदि देखा जाय तो सामाजिक सशक्तिकरण प्रक्रिया की शुरुआत परिवार से होती है। क्योंकि विभिन्न परिवारों के योग से ही समुदाय तथा समाज का निर्माण होता है। यदि परिवारों में स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार हो तो वे स्वयमेव सामाजिक रूप से भी सशक्त हो जायेगी। इसके लिए परिवार में पुत्र-पुत्री भेदभाव, घरेलू प्रबंधन में पत्नी को सेविका मानने की बजाय सहयोगिनी मानना, उनके साथ अभद्र व्यवहार अथवा अपशब्दों के प्रयोग पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ समान व्यवहार करना आदि शामिल है। इस प्रक्रिया में समाज के बड़े-बूढ़ों का सहयोग तथा बाल्यावस्था से ही पुत्रों को अपनी बहन, माता तथा सड़क पर चलने वाली लड़कियों के साथ सम्यक व्यवहार करने करने की दीक्षा भी शामिल है, क्योंकि व्यक्ति बचपन में जो भी अपने परिवार में देखता, सुनता और समझता है, अधिकांशतः उसे ही युवा होने पर दोहराता है। साथ ही ऐसी परंपराएं जिसमें महिलाओं के निम्न अथवा हेय समझा जाता है। उसे बदलने में भी परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे एक बड़े घराने में बिटियों की शादी थी। उस शादी में लड़की की कुछ ही वर्ष पूर्व विधवा हुई बुआ जी आई थी, परन्तु अलग-थलग बैठी थी, जैसे ही संगीत का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ लड़की के माता-पिता बुआ जी को लेकर आए और कहने लगे जब तक जसोदा नहीं नाचेगी तब तक संगीत का कार्यक्रम कैसे हो सकता है, सभी ने बुआ जी

की तरफ देखा और अवाक हो गये। रंगीन धोती में बुआ जी को थामे कामता प्रसाद अपनी पत्नी के साथ खड़े थे। उसके बाद बुआ जी अपनी भतीजी की शादी में ऐसा नाची कि सभी दंग रह गये, बाद में कामता प्रसाद ने अपनी बहन का पुनर्विवाह भी कराया। महिलाओं में कानून का व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाने के लिए सामाजिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नुककड़ नाटको के जरिये सक्षम वातावरण के निर्माण के उद्देश्य से दहेज उत्पीड़न ट्रेफिकिंग, बाल-विवाह, भूण हत्या, कानूनी साक्षरता, आर्थिक स्वालंबन के मुद्दे पर लोक कलाओं की प्रस्तुति करके महिलाओं को सामाजिक रूप से सशक्त किया जा रहा है।

**आर्थिक सशक्तिकरण:-** महिलाएं आज भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और स्वतंत्र नहीं हैं कोई भी निर्णय चाहे वह स्वयं के भविष्य के निर्माण के लिए ही क्यों न हो, नहीं ले सकती है। प्रत्येक निर्णय में परिवार और समाज का काफी दबाव होता है। महिलाएं आज भी समाज में हिंसा का शिकार होता है, और यह हिंसा जो कि बलात्कार, अपहरण, दहेज मृत्यु, यंत्रणा, यौन उत्पीड़न शामिल है, जो कि महिलाओं के प्रति हमारी विकृत मानसिकता को दर्शाता है। जब तक महिलाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सामाजिक, राजनैतिक एवं लिंग समानता नहीं होगी तब तक हम किसी भी स्वास्थ्य, परिपक्व एवं प्रगतिशील समाज और देश की कल्पना भी नहीं पायेंगे। महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकारों, गैर सरकारी संस्थाओं एवं निजी संस्थाओं ने कई प्रयास भी किये हैं और कर भी रहे हैं।

**महिला सशक्तिकरण में स्व-सहायता समूहों की भूमिका:-**

स्व-सहायता समूह (SHG) आन्दोलन समूह एकजुटता और माइक्रोफाइनेंस के सिद्धांतों पर आधारित है। भारत में किसी न किसी रूप में 50 वर्षों से अस्तित्व में है। 1972 से जिसकी जड़े स्व-नियोजित महिला संध (सेवा) के गठन से जुड़ी है। स्व-सहायता समूहों की परिवर्तनकारी क्षमता ने कोविड-19 की जमीनी प्रतिक्रिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के माध्यम से उदाहरण के तौर पर महिला सशक्तिकरण के माध्यम से ग्रामीण विकास के आधार के रूप में कार्य किया है। भारत में लगभग 1.2 करोड़ स्वयं सहायता समूह (SHG) हैं। जिनके 88 प्रतिशत सम्पूर्ण महिला SHG हैं। इसमें सफलता की कहानियों में केरल में कुदुम्बश्री, बिहार में जीविका, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महिला मंडल (MAVIM) और हाल ही में लूमस ऑफ लदाख शामिल हैं। 1992 में शुरू की गई स्वयं सहायता समूह-बैंक लिंकेज परियोजना (SHG-BLP) दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंस परियोजना बन गयी है। स्वयं सहायता समूह आन्दोलन जो अब अपने 30 वें वर्ष में है, छोटे और सीमांत वर्गों को शामिल करने के लिए एक शक्तिशाली मध्यस्थ के रूप में उभरा है। वर्तमान में बैंक से जुड़े स्वयं सहायता समूहों को केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों गैर सरकारी संगठनों आदि के माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। बैंकों से ऋण लेने के लिए इन्हें नियमित

बैठको, नियमित बचतों नियमित अंतर ऋण, समयानुसार पुनर्भुगतान और लेखों की अद्यतित पुस्तकों के 'पंचसूत्र' का अभ्यास करना होता है। 31 मार्च 2022 की स्थिति के अनुसार हितधारकों के सक्रिय सहयोग से SHG-BLP में रूपये 47240.5 करोड़ की बचत राशि वाले 119 लाख SHG के माध्यम से 14.2 करोड़ परिवार शामिल हैं। 31 मार्च 2022 तक रूपये 151051.30 करोड़ के बकाया संपार्श्विक-मुक्त ऋण वाले 67 लाख समूह शामिल हैं। पिछले दस वर्षों (विगत वर्ष 2022) के दौरान SHG क्रेडिट लिंकड की संख्या 10.8 प्रतिशत सीएजीआर (CAGR) से बढ़ी है। जबकि इसी अवधि के दौरान प्रति एसएचजी क्रेडिट संवितरण 5.7 प्रतिशत सीएजीआर से बढ़ी है, विशेष रूप से, स्वयं सहायता समूहों का बैंक पुनर्भुगतान 96 प्रतिशत से अधिक है, जो उनके ऋण अनुशासन और विश्वसनीयता को रेखांकित करता है।

**स्वयं सहायता समूह का प्रभाव: सशक्त महिला, सशक्त गाँव:-** महिलाओं के आर्थिक स्व: सहायता समूह से महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण पर सकारात्मक, सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, साथ ही विभिन्न तरीकों से प्राप्त सशक्तिकरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे पैसे की संभालने, वित्तिय निर्णय लेने, बेहतर सामाजिक नेटवर्क, सम्पत्ति का स्वामित्व और आजीविका विविधीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता है।

स्वयं सहायता समूहों के कार्य करने के कारण महिलाओं के आत्म विश्वास, स्वभिमान, आत्म-गौरव इत्यादि में वृद्धि होती है, क्योंकि घरेलू परिधि के बाहर एक समूह के रूप में छोटी-छोटी बचत इकट्ठी कर, ऋण लेकर लघु उद्यम स्थापित कर समूह की बैठको की कार्यवाही संचालित कर महिलाएं आत्मनिर्भर हुई हैं। स्वयं सहायता समूह के सदस्य के रूप में महिलाएं आर्थिक रूप से निर्भर बनती हैं।

**राजनैतिक सशक्तिकरण:-** भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का अभूतपूर्व योगदान रहा है। देश के राजनैतिक परिदृश्य में महिलाओं की बराबर और प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने की दृष्टि से विभिन्न स्तरों पर महिला आरक्षण का प्रावधान रखा गया, स्थानीय और राष्ट्रीय निकायों के चुनाव में भी महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था है। पंचायतों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण के फलस्वरूप गाँव की सत्ता में महिलाओं को भागीदारी का अवसर मिला है। इस प्रकार ये सत्ता भागीदारी के फलस्वरूप महिला समूह एक ऐसे संगठन के रूप में उभर कर आए, जिनमें महिलाएं गाँव के विकास के बारे में सोचने लगीं। ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। जब महिला प्रतिनिधियों ने ग्रामीण समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें हल करने की पहल की हालांकि अभी भी संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना शेष है। राजनीति में सक्रिय

महिलाओं में पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाँधी, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गाँधी, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सुश्री मयावती, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित, सदन में विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज आदि महिला नेत्रियों ने भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिसे हम राजनैतिक सशक्तिकरण के रूप में देख सकते हैं।

**शैक्षिक सशक्तिकरण:-** भारत के विकास में महिला शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि पिछले कुछ दशकों से ज्यो-ज्यो महिला साक्षरता में वृद्धि हुई है, भारत के विकास के पक्ष पर अग्रसर हुआ है। महिलाओं के शिक्षित होने से न केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा मिला, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास में भी तेजी आयी है। क्योंकि बच्चे की प्रथम गुरु माता ये ही होती है। यदि माता सुशिक्षित होगी तो भावी पीढ़ी भी शिक्षित होने की संभावना काफी बढ़ जाती है।

**सांस्कृतिक सशक्तिकरण:-** महिला सशक्तिकरण के अन्तर्गत महिलाओं के सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए मुख्य रूप से मेला का आयोजन किया जाता है। जिसका उद्देश्य परम्परागत कौशल तथा लोक चित्रकला, लोक नाट्यकला, लोकगीत आदि को जीवित रखना है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा उत्पादित बस्तुओं का प्रदर्शन करना भी मेला का एक अहम उद्देश्य होता है। विलुप्त होती सांस्कृतिक परम्पराओं और इन कलाओं से जुड़े समुदायों के बीच कला की व्यावसायिक गुणवत्ता को बढ़ाकर तथा आजीविका के साथ जोड़कर राष्ट्रीय पहचान स्थापित करना इस योजना का मुख्य लक्ष्य है।

**विधिक सशक्तिकरण:-** भारतीय संविधान पुरुष और महिला को बराबरी का दर्जा देती है। संविधान की दृष्टि में दोनों समान हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाओं की दशा सुधारने के लिए अनेक प्रयास हुए हैं। इन प्रयासों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे प्रयास रखे जा सकते हैं। जिन्होंने महिलाओं को शोषण और उत्पीड़न से मुक्त करने के लिए अनेक विधिक प्रावधान और कानून बनाये हैं। घरेलू हिंसा का कानून ऐसा ही एक महत्वपूर्ण कानून है। दूसरी श्रेणी में प्रयास आते हैं, जिनमें नारी क्षमता की संवर्धन के लिए प्रोत्साहन की योजनाएँ बनाई गयीं। अपनी उन्नति और विकास के लिए महिला को उप समस्त विधिक आयामों का ज्ञान होना चाहिए जो उसे शोषण से मुक्ति दिलाने और अवसरों का लाभ उठाने के योग्य बनाते हैं। संविधान में 93वें एवं 94वें संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। किन्तु कुछ राज्यों में महिलाओं की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत या इससे अधिक भी है। उदाहरण के लिए- बिहार में पंचायत में महिलाओं की भागीदारी लगभग 54 प्रतिशत है। महिलाओं को निर्णय लेने

, का प्रभावी अधिकार और आर्थिक सामाजिक तथा नागरिक स्वतंत्रता प्रदान की गयी है। महिलाओं को सही अर्थों में सशक्त और समर्थ बनाने के लिए यह आवश्यक है। कि सबसे पहले उन्हें घरेलू मामले में निर्णय का अधिकार मिले तथा परिवार या कार्य स्थल पर भी उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हों।

**निष्कर्ष:-** भारत की स्वतंत्रता के बाद संविधान द्वारा अपनायी गयी लोकतान्त्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को समान अधिकार समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और विधिक न्याय व अवसर की समानता बिना किसी भेदभाव के प्रदान की गयी। किन्तु सामाजिक व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, लेकिन भारत सरकार ने समय के साथ-साथ अनेक कानूनों का निर्माण महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किया परन्तु कानूनों का सही प्रवर्तन न होने के कारण आज भी दयनीय स्थिति बनी हुई है। महिला संगठनों को एकजुट होकर सामाजिक, राजनीतिक आंदोलन चलाने की जरूरत है। महिला सशक्तिकरण सिर्फ कागज पर न हो बल्कि इसमें पूरे समाज की भागीदारी होनी चाहिए। माताओं को भी अपनी बेटियों को महत्व देकर उनमें एक ऐसी परिपक्व सोच एवं समझ विकसित कर नई पीढ़ी के रूप में तैयार करना होगा जो अपने साथ-साथ समाज को नई दिशा दे सके। क्योंकि आज की महिला जीवन के हर क्षेत्र में कदम बढ़ा रही है। आज की नारी अपने कर्तव्य को गृह कार्यों की इतिश्री ही नहीं समझती है। अपितु अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति भी सजग है।

\*\*\*\*\*

### संदर्भ ग्रंथ:-

1. सिंह, डॉ0वी0एन0 (2010), “आधुनिकता एवं नारी सशक्तिकरण” रावत पब्लिकेशन, अन्सारी रोड, दरिया गंज, नई दिल्ली, पृ0सं0-210
2. स्वामी विवेकानन्द, (2003), “भारतीय नारी” ब्रह्मस्थानन्द, नागपुर, पृ0सं0-41
3. पाण्डे, डॉ0 सरोजनी, (2003), “भारतीय धर्म, समाज और नारी”, ग्रन्थम प्रकाशन, कानपुर, पृ0सं0-10
4. दुबे, श्यामाचरण, (1996), “समय और संस्कृति” वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0सं0-200
5. श्रीवास्तव, परमानन्द, (2008), “आजाद और कितनी आजाद” सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0सं0-17
6. सेतिया, सुभाष, (2009), “स्त्री अस्मिता के प्रश्न” कल्याणी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली, पृ0सं0-10
7. माहेश्वरी, सरला, (2001), “नारी प्रश्न” राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0सं0-97
8. चक्रवर्ती, उमा, (2001), “नारीवादी राजनीति” (सं0 साधना आर्य, आदि) हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, पृ0सं0-11
9. करात, वृंदा, (2008), “जीना है तो लड़ना होगा” सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ0सं0-9
10. आर्थिक समीक्षा (2022-23), “सामाजिक अवसरचना और रोजगार: व्यापक व्यवस्था” भारत सरकार, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, पृष्ठ-164-170
11. जैन, देवकी, (2016), “महिलाओं की भूमिका: सामाजिक ढांचे की आवश्यकता” योजना, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली, सितम्बर, 2016 पृ0सं0-20-24
12. सिंह, वी0एन0 एण्ड सिंह, जनमेजय, (2018), “नारीवाद” रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर, दिल्ली, पृ0सं0-107
13. ----- (2018), “नारीवाद” रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर, दिल्ली, पृ0सं0-220
14. ----- (2018), “नारीवाद” रावत पब्लिकेशन, जवाहर नगर, दिल्ली, पृ0सं0-256